प्रेषक,

मुख्य चिकित्साधिकारी
देहरादून।

सेवा में

महानिदेशक
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
स्वास्थ्य सेवा निदेशालय,उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक– मु0चि0अ0 / प0क0 इन्श्यूरेंस / 2022–23/3780 दिनांक–05.06.2023

विषय– परिवार कल्याण इण्डिमिनिटी स्कीम में प्राप्त दावे के मुआवजे के सम्बंध में।

महोदया

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि दिनांक 19.12.2023 को श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नि श्री रविन्द्र सिहं कैन्तुरा निवासी–श्रीकोट चमोयली उत्तरकाशी से उप जिला चिकित्सालय प्रेमनगर में परिवार कल्याण आपरेशन करवाने आयी थी। आवश्यक जॉच करवाने के पश्चात उन्हे बेहोशी का इन्जेकशन भी दे दिया गया था। तत्पश्चात डा0रतन सिहं सीपाल वरि0 सर्जन द्वारा आपरेशन किया जाना था,किन्तु आपरेशन के दौरान शुरुवात में ही श्रीमती सुमित्रा देवी का आकस्मिक निधन हो गया ।

उक्त के सम्बंध में जिला क्वालिटि एश्योरेंस कमेटी देहरादून द्वारा दिनांक 06.02.2023 को डेथ अडिट किया गया, जिसकी जॉच आख्या पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः संलग्न केस को अनुमोदित कर भुगतान की संस्तुति देने की कृपा करें।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार

भवदीय

मुख्य चिकित्साधिकारी
o/c देहरादून।
तददिनांक।

पत्रांक– मु0चि0अ0 / प0क0 इन्श्यूरेंस / 2022–23
प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिला अधिकारी देहरादून।

मुख्य चिकित्साधिकारी
o/c देहरादून।

सेवा में

मुख्य चिकित्साधिकारी
देहरादून।

विषय– श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नि श्री रविन्द्र सिह कैन्तुरा की मृत्यु की जॉच आख्या।

महोदय,

अवगत कराना है आपके कार्यालय के पत्र सं0मु0चि0अ0 / प0क0 / नसबन्दी / 2022–23 / 552 दिनांक 03.02.2023 के अनुपालन में श्रीमती सुमित्रा देवी पत्नि श्री रविन्द्र सिह कैन्तुरा निवासी–श्रीकोट धमोयली उत्तरकाशी से उप जिला चिकित्सालय प्रेमनगर में दिनांक 19.12.2023 को परिवार कल्याण आपरेशन करवाने आयी थी। आवश्यक जॉच करवाने के पश्चात उन्हे बेहोशी का इन्जेकशन भी दे दिया गया था। तत्पश्चात डा0रतन सिहं सीपाल वरि0 सर्जन द्वारा आपरेशन किया जाना था,किन्तु आपरेशन के दौरान शुरूवात मे ही श्रीमती सुमित्रा देवी का आकस्मिक निधन हो गया।

उक्त के सम्बंध मे जिला क्वालिटि एश्योरेंस कमेटी देहरादून द्वारा डेथ ऑडिट दिनांक 06.02.2023 के दौरान BHT एवं Consent Form का अवलोकन किया गया जिसमे उक्त मरीज का BP,PR सामान्य थे, Blood रिर्पोट भी सामान्य थी। आपरेशन से पहले मरीज की Consent भी ली गयी थी। आपरेशन से पहले मरीज को Pre-op Anaesthesia दिया गया, परन्तु आपरेशन शुरू करते ही मरीज की हदय गति कम होने लगी और ऐकाएक ह्रदय ने धडकना बन्द कर दिया । Cardio pulmonary resuscitation करने के बाद भी मरीज को बचाया नही जा सका।

PM report मे भी ऐसी कोई भी Finding नही मिली जो मृत्यु के किसी अन्य कारण को दर्शाता हो । अन्ततः श्रीमती सुमित्रा देवी के मृत्यु के घटनाक्रम की विस्तृत जॉच एवं BHT, PMreport के अध्यन के उपरान्त जिला क्वालिटि एश्योरेंस कमेटी देहरादून द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया कि श्रीमती सुमित्रा देवी के मृत्यु परिवार कल्याण नसबन्दी के दौरान Cardiac arrest के कारण हुई।

6.02.2023		
1. डा0 परमार्थ जोशी	2. डा संजीव कटारिया	3. डा0 मेघना असवाल
(वरि0सर्जन)	(वरि0 निश्चेतक)	(वरि0स्त्री रोग विशेषज्ञ)
जिला चिकि0 देहरादून।	जिला चिकि0 देहरादून।	जिला चिकि0 देहरादून।